न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 460/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. देवीलाल पिता नारू भील निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. लेहरू पिता नारू भील निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रामी बाई पुत्री नारू पत्नि भीमा भील निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता लच्छीराम जाट निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता लच्छीराम जाट निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. चांदी बेवा लच्छीराम जाट निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बदरी पिता रतनलाल जाट निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. सायरी पुत्री नारू (रेकार्ड अनुसार) पत्नी भैरूलाल भील निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम** ::

दिनांकः–23.12.2019

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम माझावास, पटवार क्षेत्र माझावांस तह. सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 241 रकबा 0.74 है., 261 रकबा 0.02 हे0, 262 रकबा 0.33 हे0, 263 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.11 हे0 भूमि स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रस्तुत है।

यह कि चरण संख्या एक में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 262 रकबा 0.33 हे0 के आवागमन के लिए प्रार्थीगण ग्राम माझावास आम रास्ते से पश्चिम दिशा में गुम करके विपक्षी संख्या तीन व चार की आराजी संख्या 268 रकबा 0.19 हे0 की उत्तरी पाली से होकर विपक्षी संख्या एक लगायत तीन की आराजी संख्या 265 रकबा 0.21 हे0 व 266 रकबा 0.22 हे0 की उत्तरी पाली से होकर संज बैल गाड़ियों से आवागमन करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 262 में आवागमन का रास्ता विपक्षी संख्या एक लगायत चार की आराजी संख्या 265, 266, 268 की उत्तरी मेड पर स्थित है लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन विवाद होता है जिससे विपक्षीगण आराजी संख्या 265, 266, 268 की उत्तरी मेड से 15 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम तक बिलानाम रास्ते से आराजी संख्याा 262 तक दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर करके विपक्षीगण की आराजी संख्या 265, 266, 268 की उत्तरी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 262 तक दिलाया जावे व नक्शें में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 4 व 5 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी सं0 3 द्वारा जवाब पेश नही जवाब बंद किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

है। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का सुगम एवं सरल रास्ता प्रार्थी के परिवारजन की ही आराजी संख्या 260 / 1 व 260 / 2 में से होकर है जिससे होकर प्रार्थी आवागमन करते रहे है। प्रार्थी ने अपने परिवारजन भेरा भील व डालु भील के साथ मिल कर संयुक्त साजिश रच कर हम विपक्षीगण की आराजियात मे से होकर नये सिरे से जबरन रास्ता कायम करवाना चाहते है इसी गरज से उन्होने भेरा भील व डालू भील को पक्षकार बनाये बिना ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः–

यह कि प्रार्थी स्वयं की आराजी नं0 262 रकबा 0.22 हे0 में आवागमन का रास्ता चाहता है, उक्त आराजी में आवागमन का कोई रास्ता मौके पर नहीं है।

यह कि मौके पर वर्तमान में रास्ता बंद है ।

यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य सुलभ रास्ता नहीं है।

यह कि वर्तमान में उक्त आराजी में जाने हेतु प्रतिवादी कभी जाने देता है तथा कभी नहीं जाने देता है। चाह नं0 267 कुएं की छुट भूमि से होकर वर्तमान में जाते है।

यह कि उक्त रास्ते के लिए ग्राम माझावास के आराजी नं0 265 में से .01 हे0 , आराजी नं0 266 में से 0.01 हे0 तथा आराजी नं0 268 में से .01 हे0 रकबा प्रभावित होता है। ग्राम माझावास की सिंचित दूर की वर्तमान डी0एल0सी0दर 4,35,442 /– प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित 0.03 हे0 भूमि की मालियत 13064 /–रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 26128 /– रूपये होती है।

यह कि वर्तमान में जो रास्ता मौके पर है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जिसे संलग्न राजस्व नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम माझावास प0ह0 माझावास के आराजी नं0 261, 262, 263 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ते के निशानात भी नही है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के बताये अनुसार विपक्षीगण के आराजी नं0 265, 266, 268 की उत्तरी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 262 में जाने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी संख्या 265, 266, 268 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं ----

2.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 460/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम माझावास प0ह0 माझावास की आराजी संख्या 262 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम माझावास की आराजी नं0 265 में से .01 हे0 , आराजी नं0 266 में से 0.01 हे0 तथा आराजी नं0 268 में से .01 हे0 उत्तरी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.03 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 4,35,442/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 13064/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 26128/–प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदार न. 1 लगायत 5 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.03हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 26128/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 5 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम माझावास की आराजी नं0 265 में से .01 हे0 , आराजी नं0 266 में से 0.01 हे0 तथा आराजी नं0 268 में से .01 हे0 उत्तरी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.03 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.23 16:51:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: